झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या–वा0कर1/संशोधन/1/2011– 632 /राँची, दिनांक– 27/2/12

प्रेषक,

सुरेश सेराफिम,
अपर आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0)
सभी अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 के उप–नियम (11) उद्देश्य हेतु अनुज्ञा पत्रों से छूट हेतु प्रकिया का निर्धारण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में, आप सभी अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 23.07.2011 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

इसी क्रम में संबंधित नियमावली के नियम 42 में एक नया उप–नियम (11) जोड़ा गया है, यथा–

Rule 42(11)- "Notwithstanding anything contained in this rule, the commissioner may exempt any VAT dealer whose taxable turnover exceeds Rs. 200 crores a year, for issuing and carrying any declarations under this rule and for this the commissioner shall determine the respective manner and criteria thereof."

तदनुसार उक्त संशोधन के आलोक में, ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, जिनका वार्षिक कर–देय आवर्त्त रुपये 200 करोड़ से अधिक का है, को अनुज्ञा–पत्रों के व्यवहारों से छूट हेतु विभाग द्वारा **निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित** की जाती है:–

(1) अवधि 2010–11 में समर्पित विवरणियों के आधार पर रुपये 200 करोड़ का सकल कर–देय आवर्त्त, निम्नांकित संव्यवहारों के आधार पर निर्धारित की जाएगी :–

"**कर–देय आवर्त्त**", से अभिप्रेत होगा –

1. राज्यान्तर्गत कर–देय बिक्रियाँ;
2. राज्य से अन्तर्राज्य कर–देय बिक्रियाँ; एवं
3. राज्य से देश के बाहर निर्यात बिक्रियाँ।

(2) अनुज्ञा–पत्र विमुक्ति प्रमाण–पत्र, **संबंधित अंचल प्रभारी** द्वारा ही प्रमाणित एवं निर्गमन किया जाएगा।

(3) विमुक्ति प्रमाण–पत्र किसी भी वर्ष के लिए माह अप्रैल से प्रारम्भ होकर, **प्रत्येक चार** महीनों की अवधि के लिए ही निर्गत किया जाएगा। परन्तु माह **दिसम्बर से मार्च** तक की अवधि के लिए निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्र, **दिनांक 25 मार्च तक के लिए** ही निर्गत किए जायेंगे।

तदनुसार वित्तीय–वर्ष हेतु अवधियां एवं उनसे संबंधित **कोड** निम्नांकित रूप से निर्धारित की जाती हैं :–

अवधि	कोड
दिनांक 26 मार्च से माह जुलाई तक	01
माह अगस्त से माह नवम्बर तक	02
माह दिसम्बर से दिनांक 25 मार्च तक	03

(4) प्रत्येक *Quarter* की समाप्ति के पश्चात्, अगले महीने के 20 तारीख तक ऐसे व्यवसायी, उनके द्वारा उस *Quarter* में किये गये **सभी संव्यवहारों यथा– राज्यान्तर्गत खरीद/अन्तर्राज्य खरीद/अन्तर्राज्य भंडार/शाखा अंतरण के द्वारा आगमन/देश के बाहर से आयात/राज्यान्तर्गत शाखा अंतरण/राज्य से राज्य के बाहर की गयी अन्तर्राज्य बिक्रियां/राज्य से राज्य के बाहर अन्तर्राज्य भण्डार अंतरण/राज्य से देश के बाहर निर्यात बिक्रियां संबंधी सम्पूर्ण विवरणी** संबंधित अंचल प्रभारी को समर्पित करेंगें।

(5) अंचल प्रभारी उक्त से संतुष्ट होकर, प्रत्येक क्वार्टर के अगले महीने की 25 तारीख तक, अनुज्ञा–पत्र से छूट से संबंधित प्रमाण–पत्रों का नवीकरण करेंगें।

(6) उक्त प्रयोजन हेतु अंचल प्रभारी ऐसे पात्र व्यवसायियों को, ***13 digit*** के कोड का, निम्नवत् रूप से प्रयोग करेंगे, जिसमें –

प्रथम दो प्रविष्टियाँ/ कोड यानि – 20 – ***(State Code)***

अगली दो प्रविष्टियां अंचल कोड – ***(Circle Code)***

अगली चार प्रविष्टियां अवधि "11–12" या "12–13" – ***(Year Code)***

अगली दो प्रविष्टियां अवधि के लिए यथा 01/02/03 – *(Period Codes-for the respective four months periods)*

एवं

अगली तीन प्रविष्टियां अनुज्ञा प्रमाण–पत्र संख्या होगी, जो संख्या 100 के बाद की संख्या होगी। अंचल प्रभारी सुरक्षा एवं गोपनीयता को रखते हुए 100 – 999 के बीच कोई भी ***random*** संख्या दे सकेंगे। पुनः इस प्रासंगिक संख्या/ अंक/कमांक को, सुरक्षा/ गोपनीयता की दृष्टि से, *Exemption Certificates* के नवीकरण के समय, अंचल प्रभारी को यह प्राधिकार होगा कि वे ऐसे अंकों/ संख्या/ कमांक में परिवर्तन कर सकेंगे।

तदनुसार अगर **बोकारो स्टील प्लांट** को अवधि 2011–12 में माह अगस्त से नवम्बर तक के लिए यह छूट देनी है, तो उन्हें निम्नांकित *13 digit Code* दिये जा सकेंगे :–

20	14	11	12	03	8*	9*	5*

* *Random Number*

(7) दिनांक 26 मार्च 2012 से माह जुलाई 2012 तक के लिए अवधि कोड 12–13 होगी।

(8) प्रत्येक व्यवसायी, उक्त के अलावे अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान से किये जाने वाले, सभी राज्यान्तर्गत एवं अन्तर्राज्य संव्यवहारों के लिए स्वयं का अपना एक कम्प्यूटर कोड जेनेरेट करेंगें, जिसे उक्त प्रमाण पत्र के साथ, प्रत्येक इनवायस/ चालानों से स्टैम्पिंग *(Stamping/ embossing)* करेंगे एवं ऐसे स्टैम्प में निम्नांकित तथ्य अंकित रहेंगी यथा–

SAIL Bokaro Steel Plant
TIN
Exemption Certificate No.
Computer Code

(9) ऐसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपने स्वयं के द्वारा *Computer generated Codes* को, संबंधित अंचल प्रभारी को *sealed cover* में प्रदत्त करेंगे।

ऐसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुरक्षा/ गोपनीयता की दृष्टि से, *Exemption Certificates* के नवीकरण के समय, ऐसे *Computer generated Codes* में परिवर्तन भी कर सकेंगे या अंचल प्रभारी के निदेश में भी ऐसे *Computer generated Codes* में परिवर्तन करेंगे एवं संबंधित अंचल प्रभारी को *sealed cover* में उपलब्ध करायेंगे।

(10) राज्य में, राज्य के बाहर से आने वाले वस्तुओं के परिगमन उद्देश्य हेतु निम्नांकित व्यवस्था रहेगी –

(*i*) राज्य के बाहर से कोई भी विनिर्माता, राज्य के व्यवसायी को वस्तु की बिक्री या अंतरण करता है तो, वैसी अवस्था में केन्द्रीय उत्पाद उद्देश्य हेतु प्रावधानित संबंधित इनवायस यथा **Excise Gate Pass** का होना आवश्यक होगा।

(*ii*) राज्य के बाहर से विनिर्माता के अलावे, कोई अन्य व्यवसायी को वस्तु की बिक्री या अंतरण करता है तो वैसी अवस्था में **उस व्यवसायी का Tax Invoice/ Transfer invoices alongwith the TIN** का रहना आवश्यक होगा।

(*iii*) ऐसे Tax Invoices/ Transfer invoices में, अंचल द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र संख्या को भी अंकित करने का विकल्प यथा–

> ***"Certified that the consignee is exempted from the use of prescribed declaration under Rule 42 vide exemption certification No. ..... which valid up to "......"***

परन्तु यह शर्त्त Mandatory नहीं होगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने sellers या consignor को अपना Exemption Certificate Number प्रेषित करेंगे ताकि वे tax invoices/ Transfer invoices में इस आशय का प्रविष्टि कर पायेंगे।

(*11*) उक्त के अलावे, सभी अन्य प्रकार के संव्यवहारों यथा– अनिबंधित व्यवसाईयों से अन्तर्राज्य खरीद/अन्तरण के द्वारा राज्य के अन्दर आयात होने वाले वस्तुओं के विरूद्ध, संबंधित व्यवसायी जेवैट–504जी निर्गत करेंगे।

(12) पुनः राज्य में देश के बाहर से आने वाले आयातित वस्तुओं के परिगमन के लिये, **Bill of lading and or custom clearance** का होना आवश्यक होगा।

(13) **राज्यान्तर्गत खरीद–बिक्री/अन्तरण उद्देश्यों हेतु सभी संव्यवहारों पर उक्त Exemption Certificate No. का होना अनिवार्य** होगा।

(14) अनुज्ञा पत्रों से छूट देने उद्देश्य हेतु उक्त व्यवस्था कार्य संवेदकों एवं शराब के व्यवसायियों पर लागू नहीं होगी।

(15) उक्त निर्धारित प्रकिया में आयुक्त द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

(16) आयुक्त को यह प्राधिकार होगा कि किसी भी पात्र व्यवसायी विशेष को, जो उनके विचार से अयोग्य माने जायेंगे, उन्हें उक्त विमुक्ति से वंचित कर सकेंगे।

सभी अंचल प्रभारी **उक्त Exemption Certificate** का **स्वयं संधारण/ निर्गमन करेंगे एवं इसकी सम्पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी। गोपनीयता बरतने उद्देश्य हेतु उक्त से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र संख्या एवं संबंधित पंजी, व्यवसायी द्वारा उपलब्ध करायी गयी कम्प्यूटर कोड : सभी अंचल प्रभारी अपने स्वयं के *Custody* में रखेंगे।**

उक्त व्यवस्था के रहते हुए भी, अगर ऐसे पात्र व्यवसायियों द्वारा वस्तुओं के परिगमन के क्रम में **संबंधित Tax Invoice/ Transfer invoices alongwith the Tin/ Excise gate pass** (जहाँ पर जो लागू होगी) की उपलब्धता नहीं रहेगी, तो झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 का उल्लंघन माना जाएगा एवं ऐसे व्यवसायी झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के अधीन सुसंगत कार्रवाई के भागी होंगे।

उक्त पर सचिव–सह– आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27/2/12

अपर आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।